शहीद भगत सिंह सांध्य महाविद्यालय
SHAHEED BHAGAT SINGH EVENING COLLEGE
(दिल्ली विश्वविद्यालय) (University of Delhi)
NAAC द्वारा 'A' श्रेणी प्राप्त, NAAC Accredited 'A' Grade
शेख़ सराए, फेज-II, नई दिल्ली-110017, SHEIKH SARAI, PHASE-II, NEW DELHI-110017
PHONE: 011-29253430, WEBSITE: www.sbsec.org, EMAIL: principal@sbse.du.ac.in

सन्दर्भ: SBSEC/2025/१२१

दिनाँक : 05.06.2025

महत्वपूर्ण सूचना

विषय: महाविद्यालय परिसर में एकल उपयोग प्लास्टिक (Single-Use Plastic) पर प्रतिबंध के संबंध में

पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छता को बढ़ावा देने हेतु यह निर्णय लिया गया है कि **महाविद्यालय परिसर में एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाता है**, जो कि *तत्काल प्रभाव से लागू* होगा।

प्रतिबंधित वस्तुओं में शामिल हैं:

- सभी प्रकार के प्लास्टिक कैरी बैग
- डिस्पोज़ेबल कटलरी जैसे प्लास्टिक के चम्मच, कांटे, चाकू, स्ट्रॉ, प्लेटें, कप, सॉस पाउच, आदि
- थर्मोकोल/प्लास्टिक से बनी खाद्य पैकेजिंग सामग्री
- 1 ली. और उससे कम क्षमता की प्लास्टिक पानी की बोतलें
- अन्य कोई भी वस्तु जो "Single-Use Plastic" श्रेणी में आती है

महाविद्यालय के सभी विभागों, कैंटीन संचालकों, ठेकेदारों, विक्रेताओं एवं कार्यक्रम आयोजकों को निर्देशित किया जाता है कि वे इन दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। उल्लंघन की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है जिसमे रू 500/- का जुर्माना भी शामिल है ।

हम सभी से अपेक्षा करते हैं कि वे पर्यावरण अनुकूल विकल्पों — जैसे कपड़े/जूट के थैले, स्टील/कांच की बोतलें और जैव-अपघटनीय उत्पादों — का उपयोग कर इस प्रयास को सफल बनाएं।

आइए, हम सब मिलकर एक स्वच्छ, हरित एवं प्लास्टिक-मुक्त परिसर की दिशा में योगदान दें।

आदेशानुसार,

(प्रो० एस के बंदूनी)
समन्वयक, आतंरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ

-Sd-
(प्राचार्य)